न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 124/2020 जिला भीलवाड़ा

1. सीताराम आत्मज श्री हिराजी बलाई आयु 30 वर्ष निवासी उथरणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. सूरजमल आत्मज श्री भौजा बलाई आयु 60 वर्ष निवासी उथरणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
3. लादु आत्मज श्री हजारी जी बलाई आयु 50 वर्ष निवासी उथरणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
4. भौजा आत्मज श्री नारायण जी बलाई आयु 80 वर्ष निवासी उथरणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
5. मु0 नन्दु पत्नि श्री नारायण जी भील आयु 60 वर्ष निवासी उथरणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
6. हजारी आत्मज श्री सुखा जी भील आयु 70 वर्ष निवासी उथरणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)

—अपीलांटस

बनाम्

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय उथरणा, जरिये प्रधानाध्यापक जी राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, उथरणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा दिनांक 16.02.2011 एफ 12—3(अ)(75)आर0ए0/2011

उपस्थित अभिभाषकः—श्री जगदीश चन्द्र दाधीच(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः—29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उथरणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के हाल आराजी संख्या 597/30 किस्म पहाड़ी तथा पर्वत रकबा 68 बीघा 5 बिस्वा में से दिनांक 16.02.2011 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा रेस्पोडेंट नम्बर 1 राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय उथरणा को रकबा 6 बीघा भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के विरूद्ध वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई—

1. उक्त आवंटित भूमि पर वर्तमान अपीलांटगण के पक्के मकान बने हुए है।
2. उक्त खसरा नम्बर से दो सड़के माताजी जाने वाली सड़क एवं माल का खेड़ा जाने वाली सड़क निकली हुई है।
3. विधालय स्वयं विवादित खसरा नम्बर में से अन्य जगह पर आवंटन हेतु सहमत है। अपील स्वीकार की जाये और आवंटन आदेश को अपास्त किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम एवं धारा [illegible]6 सीपीसी प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया है। उक्त अपील अपीलांटगण द्वारा प्रथमतः दिनांक 20.02.2014 को तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत की गई थी। जिसे दिनांक 21.02.2014 को दर्ज रजिस्टर कर 53/2014 नम्बर दिया गया था। दिनांक 17.12.2019 को राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का होने से सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई। जिसे दिनांक 03.03.2020 को 124/2020 नम्बर पर दर्ज किया जाकर सुनवाई आरम्भ की गई।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित रहे। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की गई थी। विधालय खेल मैदान से दूर है। भूमि खेल मैदान के उपयोग में नहीं आ रही है। आवंटन दिनांक 16.02.2011 का है। सन् 1963 से अपीलांटगण के 6 मकान बने हुए है। एक ही अपील प्रस्तुत की जा रही है। मकान 40 वर्ष पूर्व बने हुए है। जमीन की किस्म पहाड़ी , पर्वत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क बनी हुई है। प्रधानाध्यापक ने भी मकानों की वजह से अन्यत्र भूमि आवंटन हेतु कहा है। मकान इन्द्रा आवास योजना में बनाये गये थे। अपील स्वीकार की जाये।

न्यायालय आरएए में सुनवाई के दौरान दिनांक 15.03.2017 को अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र बाद बहस खारिज कर दिया गया था।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलांटगण के मकान विवादित भूमि में बने हुए है और उन्हें हटाये जाने बाबत कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन्हें व्यथित पक्षकार माना जाता है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी में नई सरकार बनने के बाद स्थानीय निकाय द्वारा स्कूल प्रशासन से मिलकर अपीलार्थीगण को उक्त भूमि स्कूल की होने से मकान को खाली करने की धमकी दी। उसके बाद जानकारी करने पर आवंटन आदेश की जानकारी हुई। उक्त आवंटन आदेश बिना सुने, बिना आपत्ति मांगे जारी किया गया है। उक्त आवंटन आदेश से अपीलांटगण के हक व अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। देरी को क्षमा किया जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि आवंटन आदेश में अपीलांटगण पक्षकार नहीं थे। उन्हें इसकी जानकारी नहीं रही होगी। मगर उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांटगण द्वारा जानकारी होने बाबत किसी दिनांक का उल्लेख नहीं किया है। ना ही उनके द्वारा नकल कब प्राप्त की गई है। इस बाबत कोई उल्लेख किया गया है। अपीलांट को जानकारी दिनांक के बाद दिन प्रतिदिन देरी का विवरण देना आवश्यक है। मगर अपीलांट द्वारा इस बाबत अपने प्रार्थना पत्र में कुछ भी वर्णित नहीं किया है। अतः न्यायालय इसी प्रारम्भिक स्टेज पर मेण्डेटरी प्रावधान की पालना नहीं करने से अपील को मियाद बाहर होने से बिना मेरिट पर जायें खारिज करना उचित समझता है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट आरम्भिक स्टेज पर ही अपील को देरी से प्रस्तुत किये जाने की वजह से एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम में देरी के कारण को स्पष्ट न करने की वजह से देरी को कण्डोन न किये जा सकने से खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:15 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर